

पत्रांक: PWBVY/146/BR24

दिनांक: 23/July/2024

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चंपारण (बिहार) -845401

विषय:- प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारी को निर्देश देने के संबंध में।

मोहद्य,

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है।

जिसकी पंजीयन संख्या 110 है। दिल्ली प्रदेश में प्रधान कार्यालय- प्लॉट नंबर-309, तीसरा मंजिल, आदर्श कॉम्प्लेक्स, कम्प्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में निप्रांकित कार्यक्रम चला रहे हैं। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से सभी प्रखंड विकाश पदाधिकारी एवं पंचायत मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का व्यौरा निम्नवत है।

- बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर संगोष्ठी और नुककझ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं।
- प्रगतिवाद बाल विद्यालय:- प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड में खोलकर उसके द्वारा उस वार्ड के 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं महिलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई, कटाई, बुनाई, पेटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनिकी एवं गैर तकनिकी प्रशिक्षण देना।




13-7-24

- ग्रामीण क्षेत्र में ट्रस्ट के सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु जागरूकता शिविर नुक्कड़ सभा और जन सम्पर्क के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य कर रही है।
- संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य बनाना— चूंकि वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी / गैर सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।
- बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओं, कन्या भुण हत्या, बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरूकता लाने का कार्य कर रही है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु 0-14 वर्ष होती है तो उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 21 वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरूकता करना एवं वृक्ष – रोपण को बढ़ावा देना। हरीत कांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना।
- रक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्राकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना।
- प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरिय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु बाल सेविका, बाल सहायिका एवं कार्यकर्ता की चयन संस्था के द्वारा किया जाता है।
- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से जागरूकता शिविर नुक्कर नाटक के द्वारा आम जनता को जागरूक करना।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सभी प्रखंड विकाश पदाधिकारी एवं पंचायत मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा।

**PARAS
BISHWAS**



अध्यक्ष
प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट
बिहार